कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/83/2023

श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्री शिवदत्त पाण्डेय निवासी नरहरी भवन आई.टी.आई के पीछे पुरानी शिववाडी रोड़, पटेट नगर बीकानेर पिन 334003 मो0 नं0 9460139092

..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भुसावर

..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 04.01.2024**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्री शिवदत्त पाण्डेय निवासी नरहरी भवन आई.टी.आई के पीछे पुरानी शिववाडी रोड़, पटेट नगर बीकानेर की अपील विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भुसावर के इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक 805 दिनांक 19.12.2023 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भुसावर के पत्रांक सूचना अधि0/24/06 दिनांक 01.01.2024 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित पत्र कार्यालय में मुताबिक रिकार्ड प्राप्त ही नहीं हुआ है। चाही गई सूचना से सम्बन्धित पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं होने के कारण

आरटीआई / अपील / 2023 / 83
नरेन्द्र कुमार पाण्डेय बनाम उपखण्डाधिकारी भुसावर

वांछित सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है जिस बाबत् कार्यालय के पत्रांक सूचना अधि0 / 23 / 1243 दिनांक 26.12.2023 से प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचना प्रेषित की जा चुकी है।

उक्तानुसार प्राप्त जबाब से ज्ञात होता है कि लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भुसावर के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है।

अतः लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भुसावर को प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर